सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 332 राँची, सोमवार, 25 ज्येष्ठ, 1948 (श०) / 15 जून, 2026 (ई०)

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

संकल्प

5 जून, 2026

संचिका संख्याः 01/सं०-08-02/2024- 55--

विषयः राज्य के वृद्ध/गंभीर रूप से अस्वस्थ अथवा स्थायी रूप से दिव्यांग कलाकारों के लिए मासिक निवृत्तिका योजना।

झारखण्ड राज्य की अपनी एक विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत है, फलस्वरूप देश-विदेश में इसकी एक अलग पहचान कायम है। यहाँ की संस्कृति तथा कला को विशिष्ट तथा अक्षुण्ण रखते हुए इसे संरक्षित करने में यहाँ के कलाकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है परन्तु स्थापित नीति-नियमावली आदि के अभाव में कलाकारों का सर्वांगीण विकास तथा संवर्द्धन क्षमता पूर्णता को प्राप्त नही कर सका है। यहाँ के कलाकार विशिष्ट कला-शैली में निपुण होने के बावजूद भी आर्थिक परेशानी से घिरे रहते है तथा गंभीर रूप से अस्वस्थ एवं वृद्ध हो जाने के पश्चात वे अपनी कला का प्रदर्शन कर पाने में असमर्थ होते है तथा आर्थिक विपन्नता में जीवन-यापन करने को विवश होते हैं। ऐसे कलाकारों के जीवन को सरल एवं सुगम बनाने हेतु प्रतिमाह रू० 4000/- (चार हजार रूपये) मासिक निवृत्तिका प्रदान करने संबंधी योजना प्रारंभ की गई थी ।

वर्त्तमान में उक्त मासिक निवृत्तिका योजना अंतर्गत स्थायी रूप से दिव्यांग कलाकारों को आच्छादित करने, पात्रता में संशोधन तथा निवृत्तिका योजना प्रक्रिया के केन्द्रीकरण व सरलीकरण सहित कतिपय अन्य संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

अतः सरकार के द्वारा राज्य के कलाकारों के व्यापक हितों को दृष्टिगत् रखते हुये सम्यक विचार-विमर्श के उपरान्त लिए गए निर्णय के आलोक में इस निमित्त पूर्व में निर्गत संकल्प सं०-259, दिनांक-28.08.2017 एवं संशोधित संकल्प सं०-05, दिनांक-27.03.2023 को निरस्त करते हुए राज्य के वृद्ध/गंभीर रूप से अस्वस्थ अथवा स्थायी रूप से दिव्यांग कलाकारों के लिए मासिक निवृत्तिका योजना के क्रियान्वयन प्रांरभ करने का प्रस्ताव है ।

2. लाभुक कलाकार की पात्रताः योजना का लाभ उठाने हेतु निम्नवत् पात्रता निर्धारित की जाती है:-

(i) कलाकार की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो ।

- गंभीर रूप से अस्वस्थ अथवा स्थायी रूप से दिव्यांग कलाकारों के लिए न्युनतम उम्र सीमा (60 वर्ष) के बंधेज को समाप्त किया जाता है ।

(ii) आवेदक कलाकार की समस्त श्रोतो से प्राप्त मासिक आय 8,000.00 (आठ हजार) रू० प्रतिमाह से कम हो ।

(iii) आवेदक कलाकार झारखण्ड राज्य का निवासी हो। झारखण्ड राज्य के निवासी कलाकारों के अतिरिक्त वैसे कलाकार भी इस योजना के अंतर्गत पात्र होगे जो झारखण्ड राज्य के निवासी हैं परन्तु वर्तमान में व्यावसायिक या पारिवारिक कारणों से राज्य के बाहर निवासित रहकर झारखण्ड के कला-विधाओं का प्रदर्शन एवं मंचन कर रहे है ।

(iii) अस्वस्थ/दिव्यांग आवेदक कलाकार जो इस हद तक अस्वस्थ/दिव्यांग हो कि अब अपने कला का प्रदर्शन कर जीवनयापन कर पाने में असमर्थ है ।

(iv) आवेदक कलाकार झारखण्ड के लोक-जनाजातीय संगीत/नृत्य, शास्त्रीय एवं उप शास्त्रीय संगीत/नृत्य, नाटक, विभिन्न शिल्पकलाओं, प्रदर्श कला, चाक्षुश कला आदि में अभिनव में से किसी एक में पारंगत हो एवं जिला स्तर पर उस विधा के कलाकार के रूप में उसकी स्थापित पहचान हो। इस संदर्भ में संबंधित उप विकास आयुक्त द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य होगा ।

अथवा

ऐसे लोक कलाकार भी सुयोग्य माने जायेंगे जो आकाशवाणी/दूरदर्शन/भारत सरकार के संगीत एवं नाट्य प्रभाग से मान्यता प्राप्त (Approved) हो तथा इन संस्थाओं के अंतर्गत उन्हें कार्यक्रम देने का न्यूनतम 07 (सात) वर्षों का अनुभव प्राप्त हो अथवा अस्वस्थ/दिव्यांग कलाकारों के संदर्भ में कार्यक्रम देने का न्यूनतम 05 (पाँच) वर्षों का अनुभव प्राप्त हो ।

अथवा

ऐसे लोक कलाकार भी सुयोग्य माने जायेंगे जिन्हें राज्य सरकार के पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा प्रायोजित जिला/राज्य/राष्ट्र स्तर पर आयोजित कला एवं संस्कृति से संबंधित कार्यक्रमों में न्यूनतम गत 07 (सात) वर्षों से शामिल किया जाता रहा हो अथवा अस्वस्थ/दिव्यांग कलाकारों के संदर्भ में न्यूनतम गत 05 (पाँच) वर्षों से शामिल किया जाता रहा हो। सांस्कृतिक कार्य निदेशालय का दस्तावेज प्रमाण स्वरूप संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

अथवा

ऐसे वरिष्ठ कलाकार जो भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार, केन्द्रीय ललित कला अकादमी/संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हों अथवा जिन्हें झारखण्ड सरकार द्वारा राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया हो ।

(vi) कलाकारों के प्रमाणीकरण हेतु विभागान्तर्गत विकसित वेबपोर्टल Cultural Troupe Management System (CTMS) पर कलाकारों द्वारा निबंधन अनिवार्य होगा ।

3. लाभुक कलाकारों के चयन की प्रक्रियाः

(A) इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य/पात्र एवं रूचि रखने वाले कलाकार विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित करेंगे। आवेदक कलाकार को आवेदन के साथ निम्न अभिलेख भी संलग्न करना आवश्यक होगाः-

(i) अस्वस्थता/दिव्यांगता के दावे के संबंध में स्थानीय जिला सिविल सर्जन द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण-पत्र

(ii) कंडिका-2(v) में वर्णित प्रमाण-पत्र सहित योग्यता एवं अहर्त्ता, अनुभव, पुरस्कार के संबंध में अपने दावों के पक्ष में आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रतियां।

(B) आवेदन की प्रक्रियाः योजना के बेहतर एवं सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिये आवेदन समर्पित करने हेतु निम्नांकित केंद्रीकृत प्रक्रिया अपनायी जायेगीः-

i. सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची में ऑफलाइन माध्यम से अथवा सांस्कृतिक कार्य निदेशालय के वेबसाइट पर इस निमित्त उपलब्ध ऑनलाईन वितउ के माध्यम से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र समर्पित किया जायेगा।

ii. निदेशालय स्तर पर प्राप्त ऑफलाइन/ऑनलाइन आवेदनों की जिलावार सूची तैयार किया जायेगा।

iii. उक्त जिलावार सूची संबंधित जिलों को प्रेषित किया जायेगा। स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा मूल आवेदन एवं सभी अभिलेखों की समीक्षा कर इसे स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा नियमानुसार अनुशंसित करते हुए एक माह के भीतर निदेशालय को भेजना सुनिश्चित किया जायेगा।

iv. यदि कोई कलाकार स्वयं आवेदन नहीं कर पाता है और उसकी सूचना किसी प्रतिष्ठित साहित्य एवं कला संस्थान या किसी वरिष्ठ कलाकार के माध्यम से प्राप्त होने पर कार्यकारी समिति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऐसे मामलों पर निर्णय ले सकेंगी।

(C) आवेदनों की समीक्षाः आवेदन की समीक्षा हेतु संबंधित जिला के उपायुक्त एक समिति का गठन करेगी। यह समिति इस योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा कर अपने मंतव्य सहित अनुशंसा अग्रेतर कार्रवाई हेतु निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय को उपलब्ध करायेगी।

समीक्षा समिति निम्नवत् गठित होगीः-

(i)	उपायुक्त/उप विकास आयुक्त	अध्यक्ष
(ii)	अनुमण्डल पदाधिकारी	सदस्य
(iii)	जिले में स्थित दूरदर्शन केन्द्र, आकाशवाणी केन्द्र (अगर हो तो) के प्रतिनिधि	सदस्य
(iv)	संगीत/नाटक/नृत्य/चित्रकला एवं विभिन्न प्रकार के शिल्पों में पारंगत एक कलाकार जिसकी पहचान कम से कम जिला स्तर पर स्थापित हो	सदस्य
(v)	जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी	सदस्य
(vi)	जिला खेल पदाधिकारी-सह-नोडल संस्कृति पदाधिकारी	सदस्य सचिव-सह-समन्वयक

समीक्षा के दौरान यह समिति उक्त योजना के संदर्भ में कला के दृष्टिकोण से अस्वस्थता एवं दिव्यांगता के प्रकार को व्यापक रूप से परिभाषित करते हुए यह सुनिश्चित करेगी कि कलाकार की अस्वस्थता या दिव्यांगता (यथा मानसिक अक्षमता-मानसिक बीमारी से ग्रसित होना, शारीरिक अक्षमता-दीर्घकालिक शारीरिक स्थितियाँ, गम्भीर दिव्यांगता आदि) उनके कला प्रदर्शन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही है।

(D) अनुशंसाः स्थानीय जिला प्रशासन से प्राप्त अनुशंसित आवेदन पत्रों एवं अभिलेखों की जाँच हेतु विभागीय स्तर पर एक कार्यकारी समिति का गठन किया जायेगा। कार्यकारी समिति आवेदन पत्रों की जाँच कर सहायता राशि स्वीकृत करने हेतु विभाग से अनुशंसा कर सकेगा।

4. कार्यकारी समिति का गठनः विभागीय स्तर पर कार्यकारी समिति का गठन निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय की अध्यक्षता में किया जायेगा।

5. मासिक निवृत्तिका राशि: विभाग के अनुमोदनोपरान्त योजना के अंतर्गत पात्र योग्य कलाकार को प्रतिमाह रू० 4000/- (चार हजार) की मासिक निवृत्तिका राशि प्रदान की जायेगी।

6. मासिक निवृत्तिका भुगतान की प्रक्रियाः चयनित लाभुकों को निर्धारित निवृत्तिका राशि का भुगतान आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (क्ठज्) के माध्यम से आधार संबद्ध बैंक खाता (AADHAR linked Bank A/c) में किया जायेगा। इस निमित्त वित्त विभाग द्वारा निरूपित नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. राशि का विकलनः मासिक निवृत्तिका हेतु राशि का विकलन बजट शीर्ष 2205 - कला एवं संस्कृति - लघु शीर्ष - 101 - ललित कला शिक्षा/796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना - उप शीर्ष-34- सांस्कृतिक कल्याण योजना एवं सांस्कृतिक प्रकाशन एवं कला संस्कृति परिषद - विस्तृत शीर्ष - 06 -अनुदान-प्राथमिक इकाई - 49 - आर्थिक सहायता मद से विकलनीय होगा ।

8. विविधः

(i) योग्यता तथा बजट राशि की उपलब्धता के आधार पर प्रतिवर्ष निवृत्तिका हेतु पात्र कलाकारों की उच्चतम संख्या का निर्धारण किया जायगा ।

(ii) कार्यकारी समिति आवश्यकतानुसार समय-समय पर लाभुकों के पात्रता के संबंध में प्रकरणों का पुनरावलोकन भी कर सकेगी ।

(iii) निवृत्तिका की राशि अहस्तानांतरीय (NON-TRANSFMRABLE) होगी अर्थात निवृतिका की राशि केवल कलाकार को ही भुगतेय होगी एवं कलाकार की मृत्यु/अयोग्यता के उपरांत यह पारिवारिक पेंशन के रूप में परिवार के किसी सदस्य एवं अन्य किसी को भुगतेय नहीं होगी ।

(iv) मासिक निवृत्तिका हेतु पात्र कलाकारों के चयन के लिए प्रत्येक वर्ष दो बार विज्ञापन दैनिक समाचार पत्रों तथा निदेशालय के वेबसाईट पर प्रकाशित की जायगी एवं दो से तीन महीने के भीतर निवृतिका भुगतान की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायगी ।

(v) मासिक निवृतिका सहायता बंद किया जानाः- यदि लाभुक कलाकार के आय साधन सुधर जाए और उन्हें नियम 2(पप) में निर्धारित मासिक आय से अधिक आय होने लगे अथवा कार्यकारी समिति को अन्यथा समाधान हो जाए तो इस योजना के अंतर्गत कलाकारों को प्रदत्त सहायता राशि किसी भी समय बंद किया जा सकेगा ।

आवेदक/लाभुक कलाकार द्वारा अपनी योग्यता/पात्रता के संबंध में कोई गलत या भ्रामक सूचना देने पर प्रदत्त आर्थिक सहायता राशि की वसूली नियमानुसार की जा सकेगी ।

(vi) निवृतिका योजना का लाभ लेे रहे कलाकारांे द्वारा प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह में अपना ''जीवन प्रमाण पत्र'' उपायुक्त/उपविकास आयुक्त कार्यालय में निश्चित रूप से जमा करवाया जायगा। उपायुक्त/उप विकास आयुक्त कलाकारांे के जीवन प्रमाण पत्र को शीघ्र निदेशालय में

उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें। साथ ही निवृतिका योजना का लाभ ले रहे कलाकार की मृत्यु की सूचना उस माह की अंतिम तिथि से पूर्व निदेशालय को प्रदान करना सुनिश्चित करेंगें ।

9. योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची को होगा ।

10. इस योजना का प्रशासी विभाग एवं सर्वोच्च प्राधिकार पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड, राँची होगा ।

11. इस योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकार द्वारा योजना के प्रावधानों में समय-समय पर संशोधन किया जा सकेगा ।

12. शिकायतों का निवारणः- इस योजना की व्याख्या अथवा कार्यान्वयन के संबंध में कोई शिकायत उत्पन्न होती है तो इसकी व्याख्या एवं शिकायतों के निवारण हेतु पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड, राँची सर्वोच्च प्राधिकार होगा तथा इस संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा ।

13. छूट/शिथिलीकरणः- इस योजना के किसी भी खंड या शर्तों में छूट देने/शिथिलीकरण करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा ।

14. यह योजना इस संकल्प के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी ।

15. राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक- 27.05.2026 को आहूत बैठक के मद सं०- 07 के रूप मे इस पर स्वीकृति प्रदान की गई है ।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधरण अंक में प्रकाशित किया जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मुकेश कुमार,
सरकार के सचिव

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 332 - 50